[2021] 4 एस सी आर 279

राहुल एस शाह

बनाम

जिनेन्द्र कुमार गांधी और अन्य।

(सिविल अपील सं। 1659-1660 2021)

22 अप्रैल, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भटट, जे. जे.]

भारत का संविधान का अनुच्छेद 142 , 141 और 144-निष्पादन कार्यवाही में देरी और निष्पादन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग -

झूठे आक्षेप लगाने और तीसरे पक्ष की स्थापना करने के लिए असफल वादियों द्वारा तुच्छ प्रयास, एक डिक्री के निष्पादन में आपत्ति करने, देरी करने और बाधा डालने के लिए-देरी को कम करने की तत्काल आवश्यकता-इसके मद्देनजर, तीसरे पक्ष द्वारा दावा किए गए अधिकारों से उत्पन्न होने वाले विवादों और कई मुद्दों से बचने के लिए, न्यायालय को मुकदमे के निर्णय के दौरान विषय वस्तु से संबंधित ऐसे सभी मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मुकदमे में एक स्पष्ट, स्पष्ट और निष्पादन योग्य डिक्री पारित की जाए-इस प्रकार, न्याय की प्रक्रिया को कम करने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में, मुकदमों और निष्पादन कार्यवाही से निपटने वाली सभी अदालतों को कुछ अनिवार्य निर्देश जारी करना-साथ ही सभी उच्च न्यायालयों को आदेश के निष्पादन से संबंधित सभी नियमों पर पुनर्विचार करने और उन्हें अद्यतन करने के निर्देश जारी करना। 227 और एस। 122 निर्धारित अवधि के भीतर सी. पी. सी.-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश, XXI नियम 2 , 11 , 22 , 30 36, 97, 98, 99, एसएस तक। 47 , 51 .

राजा दुर्भुगा के महाप्रबंधक बनाम। महाराजा कुमार रामपुत सिंग (1871-72) 14 मूर का आई. ए. 605; शुभ करण बुबना @शुभ करण प्रसाद बुबना बनाम सीता सरन बुबना (2009) 9 एस. सी. सी. 689: 2009] 14 एससीआर 40; घन श्याम दास गुप्ता बनाम।

अनंत कुमार सिन्हा ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2251 [1991] 1 पूरक। एससीआर 119 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1871-72) 14 मूर का आई. ए. 605	संदर्भित किया गया है	कंडिका 23
[2009] 14 एससीआर 40	संदर्भित किया गया है	कंडिका 23
[1991] 1 पूरक। एससीआर 119	संदर्भित किया गया है	कंडिका 40

कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 16.01.2020 के निर्णय और आदेश से, बेंगलुरु में W. P. No.39296/2016 [GM-CPC] और W. P. No.39382/2016 में। के साथ सिविल अपील सं। 1661-1662 और 2021 का 1663-1664। अरुणव मुखर्जी, शैलेश मडियाल, सुश्री राखी एम., पारस जैन, टी. हरीश कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षकारो के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. स्वीकृत दे दी गई।

2. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के 16 जनवरी, 2020 के सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है जो कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुकदमे की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है प्रक्रियात्मक प्रावधानों के निरंतर दुरुपयोग की अस्वस्थता जो न्याय को पराजित करती है, यानी असफल वादियों द्वारा टालने के तुच्छ प्रयास एक डिक्री के निष्पादन में आपत्ति, देरी और बाधा डालने के लिए नकली आपत्तियां और तीसरे पक्ष की स्थापना।

3. तीसरे प्रतिवादी (इसके बाद 'नारायणम्मा' के रूप में संदर्भित) ने 1 एकड़ (सर्वेक्षण संख्या 15/2) की संपत्ति खरीदी थी। दिवातिगे रामनहल्ली, मैसूर रोड, बेंगलुरु (जिसे बाद में 'सूट संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है) दिनांक 17.03.1960 के बिक्री विलेख के तहत। सूट भूमि को बदल दिया गया और बेंगलुरु की नगरपालिका सीमा में विलय कर दिया गया

और इसे नगर निगम संख्या 327 और 328, मैसूर रोड, बेंगलुरु को सौंपा गया। नारायणम्मा ने नगर निगम (सर्वेक्षण संख्या 327) में सूट संपत्ति के 1908 वर्ग गज को दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं (इसके बाद 'जितेंद्र' और 'उर्मिला' को संदर्भित) को बिक्री के तहत बेच दिया। दिनांकित विलेख 13.05.1986। बिक्री विलेख के साथ संलग्न रेखाचित्र के साथ इसका सीमांकन किया गया था। संपत्ति का निकटवर्ती हिस्सा, सर्वेक्षण संख्या 327, श्री मूलेन्द्र कुमार गाँधी और श्रीमती को बेच दिया गया था। बेबी गांधी एक अन्य बिक्री विलेख द्वारा दिनांकित 13.05.1986। इस संपत्ति का सीमांकन भी रेखाचित्र में किया गया था और बिक्री विलेख से जुड़े इसके आयामों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसलिए, पहले दो उत्तरदाता, श्री मूलेन्द्र कुमार गाँधी और श्रीमती. बेबी गांधी राहुल शाह बनाम सूट के पूर्ण मालिक बन गए। 3871 वर्ग गज की पूरी तरह से माप के साथ संपत्ति। इस प्रकार, नारायणम्मा ने अपनी 1 एकड़ भूमि (43,860 वर्ग फुट) में से लगभग 34,839 वर्ग फुट की संपत्ति बेच दी थी। इसके बाद, उक्त संपत्ति के बड़े हिस्से को पहले दो प्रत्यर्थियों और उनके भाई को बेचने के बाद, नारायणम्मा, जो चौथे प्रत्यर्थी ए. रामचंद्र रेड्डी की मां हैं (जिन्हें इसके बाद "विक्रेता" कहा जाता है) ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि पहले दो प्रत्यर्थियों (जिन्हें "खरीदार" या "डिक्री-धारक" भी कहा जाता है) के पक्ष में और साथ ही श्री मूलेन्द्र कुमार गांधी आदि के खिलाफ दो बिक्री विलेख अमान्य थे। विक्रेता और श्री अंजन रेड्डी (मृतक प्रतिवादी नं। 8) 25.03.1991 पर एक पंजीकृत विभाजन विलेख निष्पादित किया। इस दस्तावेज़ ने बिक्री के लिए विज्ञापन नहीं दिया था खरीदारों और श्री मूलेंदर कुमार गांधी और श्रीमती के पक्ष में निष्पादित विलेख। बेबी कुमारी गांधी। खरीदारों को उस संपत्ति में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिसके बारे में नारायणम्मा ने दावा किया था कि वह उनकी है।

4. घोषणा के लिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पहले खरीदारों ने विक्रेताओं के खिलाफ कब्जे के लिए दो मुकदमे दायर किए। इन मुकदमों के लंबित रहने के दौरान दो अलग-अलग बिक्री विलेखों द्वारा श्री धनजी भाई पटेल और श्री गोविंद धनजी पटेल ने नारायणम्मा के स्वामित्व वाली संपत्ति के अवशेषों में से क्रमशः 7489 वर्ग फुट और 7650 वर्ग फुट की खरीद की। जबकि, खरीदारों द्वारा लगाए गए मुकदमों के लंबित रहने के दौरान, विक्रेताओं ने फिर से मुक़दमे की संपत्ति यानी भूमि को वर्तमान अपीलार्थी (राहुल शाह) और तीन अन्य (प्रत्यर्थी नं. 5-7) चार अलग-अलग बिक्री विलेखों द्वारा। कब्जे के मुकदमों में

विक्रेताओं ने जवाबी दावे दायर किए (दिनांक 18.04.1998)। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खरीदारों ने अपने नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण और परिवर्तन की मांग की, जिसे नगर निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके कारण उन्होंने रिट याचिका संख्या 19205/1992 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस निर्देश के साथ निपटाया गया कि निषेधाज्ञा मुकदमे (विक्रेताओं द्वारा दायर) के निर्णय के बाद खाता को स्थानांतरित कर दिया जाए।

5. विक्रेताओं द्वारा दायर निषेधाज्ञा मुकदमे और खरीदारों द्वारा दायर अन्य दो मुकदमों की कार्यवाही को एक साथ जोड़ा गया था। द.सिटी सिविल जज, बैंगलोर ने दिनांक 21.12.2006 के एक सामान्य निर्णय द्वारा खरीदारों द्वारा पसंद किए गए कब्जे के लिए मुकदमों की अनुमति दी और फैसला सुनाया 1 1 ओ. एस. संख्या 986/1987 2 ओ. एस. संख्या। 9077 / 1996 और 9078/1996 3 दिनांकित 09.11.2001,12.12.2001,05.12.2002 और 20.10.2004 4 दिनांकित 05.11.1998 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट और निषेधाज्ञा के लिए विक्रेता के मुकदमे को खारिज कर दिया। डिक्री धारकों ने निष्पादन कार्यवाही को प्राथमिकता दी। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन दायर किए क्योंकि निर्णय देनदारों/विक्रेताओं ने अपीलकर्ता और प्रतिवादियों को संपत्ति बेच दी थी नहीं। 4 से 7 तक। अपीलार्थी अर्थात एक पश्चातवर्ती खरीदार ने आपत्तियाँ दायर कीं।

6. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नगर निगम संख्या 327, मैसूर रोड वाली वाद संपत्ति का अगला हिस्सा, बैंगलोर मेट्रो परियोजना के लिए अधिग्रहण का विषय बैंगलोर बन गया। डिक्री धारकों (पहले दो उत्तरदाताओं) ने वरीयता दी प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्तियाँ और आगे कब्जे का दावा किया। इस बीच, मुकदमे को खारिज करने और कब्जे के लिए मुकदमे का आदेश देने से व्यथित नारायणम्मा ने उच्च न्यायालय में पहली अपील दायर की। इन कार्यवाहियों में यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि वाद की संपत्तियों को अपीलार्थी को बेच दिया गया था और उत्तरदाताओं नहीं। 4 से 7 तक। एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं को बिक्री, खरीदार के नाम और बेचे गए क्षेत्र आदि के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 22.10.2009 के सामान्य निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित सभी अपीलों को खारिज कर दिया। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत

विशेष अनुमति याचिका को भी इस न्यायालय द्वारा 23.07.2010 पर खारिज कर दिया गया था।

7. जाहिरा तौर पर, ट्रायल कोर्ट के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विक्रेताओं ने फिर से संपत्ति के पक्ष में बेच दिया श्री पी. प्रेम चंद, शिर पारसमल, श्री केतन एस. शाह और अन्य। और श्री गोपीलाल लाढ़ा और श्री विनय माहेश्वरी अलग-अलग बिक्री विलेखों द्वारा। यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था जिसने विक्रेताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

8. उच्च न्यायालय नारायणम्मा के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी और प्रतिवादी नं। 4 से 7 ने यह दावा करते हुए क्षतिपूर्ति बांड दायर किए कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं था और अर्जित किए गए भागों के संबंध में मुआवजे का दावा किया। इन्हें उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया जिसने डब्ल्यू. पी. सं. 9337/2008 में एक आदेश पारित किया। अदालत ने सभी सामग्रियों पर विचार किया और कहा कि मुआवजा विक्रेताओं को वितरित नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 4 से 7 तक। उच्च न्यायालय ने उन्हें राशि जमा करने का निर्देश जारी किया। अपीलार्थी द्वारा एक अपील की गई थी और उक्त प्रत्यर्थियों ने उस आदेश के खिलाफ, जिसे खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, एक जांच आयोजित की गई और भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 01.08.2011 पर आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी, विक्रेता और अन्य लोगों को राशि फिर से जमा करने का निर्देश दिया गया। एक अन्य रिट याचिका संख्या 2099/111 में पारित एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डिक्री धारक/खरीदार अपने नाम पर संपत्ति के खाता के हस्तांतरण के हकदार हैं और राजस्व अधिकारी के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद से, जमा के संबंध में राशि का अनुपालन नहीं किया गया, अवमानना की कार्यवाही की गई।

9. उच्च न्यायालय ने एक अन्य आदेश में नारायणम्मा और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि नहीं। राशि जमा करने के लिए 4 से 7 तक। अवमानना कार्यवाही में उस आदेश (सी. सी. सी. सं. 280/2011) को इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई थी जिसे 05.11.2014 पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, खाटा के

हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में नगरपालिका और राजस्व रिकॉर्ड डिक्री-धारक/खरीदारों के नाम दर्शाते हैं।

10. डिक्री धारकों द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही के परिणामस्वरूप अदालत को अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों द्वारा बाधा को देखते हुए पक्षकारों को साक्ष्य देने की आवश्यकता होती है। 4 से 7 तक, इसके आदेश दिनांक 23.04.2010 के अनुसार। जब अवरोध कार्यवाही के तहत लंबित थे आदेश XXI नियम 97, निर्णय देनदार यानी विक्रेताओं ने 2016 में डिक्री धारकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की; इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा 20.06.2016 पर रोक लगा दी गई थी और बाद में 16.03.2017 पर रद्द कर दिया गया था। फैसले के देनदारों ने कुछ दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने संपत्ति की पहचान करने और मापने के लिए न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश दिया। आपराधिक कार्यवाही के निपटारे के समय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आयुक्त की रिपोर्ट के साथ-साथ निर्णय देनदारियों की आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

11. इस बीच, एक आदेश द्वारा निष्पादन न्यायालय ने बीबीएमपी के तालुका सर्वेक्षक को न्यायालय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें घटनास्थल का दौरा करने और सर्वेक्षण करने और अवैध संपत्ति की सीमाएं तय करने का निर्देश दिया। फैसले में इन आदेशों को वापस लेने की मांग की गई थी देनदार; उन्होंने बिक्री दस्तावेजों के एक हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा फोरेंसिक परीक्षा के संदर्भ की भी मांग की। इन दो समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था; और 13.06.2017 पर निष्पादन न्यायालय ने दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया और निष्पादन के लिए अवरोधकों के प्रतिरोध को भी खारिज कर दिया।

12. इन सभी आदेशों के कारण अपीलार्थी और विक्रेताओं आदि की ओर से पाँच रिट याचिकाएँ दायर की गईं। निष्पादन न्यायालय के दिनांकित निर्णय को चुनौती देने वाले अवरोधकों द्वारा तीन प्रथम अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी 15.02.2017 . विवादित सामान्य आदेश द्वारा इन सभी रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

13. अपीलार्थी (राहुल शाह) की ओर से श्री शैलेश मडियाल का तर्क है कि विवादित आदेश का प्रभाव निष्पादन न्यायालय के दिनांक 23.04.2010 के आदेश को पूरी संपत्ति के सर्वेक्षण के संबंध में कमजोर करने का है। अपीलार्थी के वकील ने यह इंगित किया कि सीमाएँ और पहचान के संबंध में विवाद थे पक्षों के बीच की संपत्ति। आदेश का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय ने देखा था कि उच्च न्यायालय ने पहले की रिट याचिकाओं में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को जांच करने और यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 के तहत मामले को दीवानी न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया था। इन सभी विवादों, विशेष रूप से सीमाओं से संबंधित प्रश्नों और विवादित संपत्तियों के विस्तार और स्थान की अस्पष्ट प्रकृति को देखते हुए, विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। और अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान की जाए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बाद में 31.10.2014 के आदेश द्वारा निष्पादन न्यायालय ने गलती से अभिनिर्धारित किया कि स्केच प्रदर्शनी पी-26 राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, जबकि वास्तव में इसे डिक्री धारकों द्वारा दिए गए हस्तलिखित स्केच द्वारा पेश किया गया था।

14. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी कार्यवाहियों में डिक्री धारक के प्रयास संपत्ति की पहचान को भ्रमित करने के लिए थे और इसलिए दोनों निष्पादन मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की थी; इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। निष्पादन न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि दो मामलों में निष्पादित की जाने वाली संपत्ति अलग थी और इसके अलावा दावा किए गए अधिकार भी अलग थे।

15. याचिकाओं के दूसरे समूह में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील, दूसरी ओर, 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11859-11860 और 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11792-11793 ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ निष्पादन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अवरोधक (अर्थात अपीलार्थी गोपीलाल लाढ़ा) द्वारा जो माँगा गया था, वह डिक्री धारकों द्वारा खरीदे जाने के बाद बचे हुए सामान से कहीं अधिक था और इसलिए परिवहन एक दूसरे से अधिक हो गए थे।

16. अपीलार्थियों के दूसरे समूह की ओर से पेश श्री अरुणव मुखर्जी ने श्री शैलेश मडियाल की दलीलों को भी दोहराया कि डिक्री धारकों ने जानबूझकर संपत्ति की पहचान को भ्रमित किया था।

17. प्रत्यर्थियों ने आग्रह किया कि इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विद्वान वकील ने दोहराया कि कई कार्यवाही की गई और यह कि निर्णय देनदारों ने डिक्री धारकों द्वारा संपत्ति के अपने हिस्से खरीदने के बाद और उनके द्वारा दायर मुकदमों के लंबित रहने के दौरान कम से कम दो बार एक ही संपत्ति को तीन बार बेच दिया था। निर्णय देनदारियों ने एक घोषणा की मांग की थी कि बिक्री विलेख के पक्ष में निष्पादित किया गया था डिक्री धारक वास्तविक और खोए हुए नहीं थे। इसके बाद, निर्णय देनदार और कुछ अवरोधक मुआवजे की वसूली करने में सफल रहे। अर्जित की गई संपत्ति के हिस्से का सम्मान। अंततः, उन राशियों को न्यायालय के आदेशों द्वारा वितरित किया जाना था। निर्णय देनदार/विक्रेता ने फोरेंसिक जांच की भी मांग की और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इन सभी परिस्थितियों पर ध्यान दिया और एक न्यायसंगत आदेश पारित किया, जिसमें संपत्तियों की पहचान करने और मापने के लिए एक न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति की आवश्यकता थी। ऐसा करते समय निष्पादन न्यायालय को पिछले न्यायालय आयुक्त श्री वेंकटेश दलवई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों सहित अभिलेख पर सभी सामग्रियों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

चर्चा और निष्कर्ष

18. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि विक्रेता और उसके बेटे (निर्णय देनदार) ने संपत्ति के एक बड़े हिस्से के संबंध में बिक्री विलेख को निष्पादित करने के बाद, घोषणा के लिए एक मुकदमे द्वारा लेनदेन पर सवाल उठाया। डिक्री धारकों ने कब्जे के लिए एक मुकदमा भी दायर किया। इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, बिक्री विलेखों के दो सेट निष्पादित किए गए थे। विक्रेताओं का मुकदमा खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय के स्तर पर भी बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया। दूसरी ओर, खरीदारों के मुकदमे का फैसला किया गया और यह अपील का विषय बन गया। उच्च न्यायालय ने पहली अपील को खारिज कर दिया; इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। यह अगले चरण के लिए

पृष्ठभूमि बन गई कार्यवाही, अर्थात निष्पादन। निष्पादन की कार्यवाही अब चल रही है 14 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहे। इस बीच, मुकदमे का विषय रहे उन्हीं दस्तावेजों पर सवाल उठाने वाली आपराधिक कार्यवाही सहित कई आवेदन शुरू किए गए। बीच में अधिग्रहित की गई संपत्ति का हिस्सा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही और मुआवजे के वितरण का विषय बन गया। यह रिट और अवमानना कार्यवाही का विषय बन गया। समय-समय पर पारित निष्पादन न्यायालय के विभिन्न आदेश, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं और अपीलों का विषय बन गए-उनमें से छह। इन सभी से एक साथ निपटा गया और आम विवादित आदेश द्वारा निपटाया गया।

19. सामान्य विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने सभी कार्यवाहियों को कालानुक्रमिक रूप से सूचीबद्ध किया है और उनके परिणाम। आक्षेपित क्रम में अंतिम दिशाएँ इस प्रकार हैं:

(क) जे. डी. आर. एस. द्वारा दूसरी चुनौती और बाधा डालने वालों का आंशिक रूप से पक्ष लेने के कारण, डिलीवरी वारंट का निर्देश देने वाले निष्पादन न्यायालय के विवादित आदेशों को समाप्त कर दिया जाता है, और एक विशेषज्ञ व्यक्ति/अधिकारी को न्यायालय के रूप में नियुक्त करके मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है। पहचान को पूरा करने के लिए आयुक्त और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ न्यायिक संपत्तियों का मापन, उस अभ्यास में वे सभी लागतों और शुल्कों को समान रूप से वहन करते हुए;

(ख) यह निष्पादन न्यायालय के लिए खुला है कि वह अभिलेख पर अब तक की पूरी साक्ष्य सामग्री को ध्यान में रखे, जिसमें शामिल हैं न्यायालय आयुक्त श्री द्वारा पहले ही प्रस्तुत की गई रिपोर्ट वेंकटेश दलवई,

(ग) उपर्युक्त पैरा 8 में उल्लिखित इस न्यायालय की समन्वित पीठों के आदेशों के संदर्भ में पहले से जमा की गई राशि और अवरोधकों द्वारा जमा की जाने वाली राशि संबंधित पक्षों को जारी की जाएगी, जो इस मामले में विजयी होते हैं। निष्पादन याचिकाएँ;

(घ) जे. डी. आर. एस. संयुक्त रूप से डी. एच. आर. एस. को सामूहिक रूप से भुगतान करेगा रुपये की अनुकरणीय लागत। 5,00,000 / - (पाँच लाख रुपये) केवल प्रत्येक

निष्पादन याचिका आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, उक्त याचिकाओं के परिणाम की परवाह किए बिना; और, यदि, उसी के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, वे होने का जोखिम उठाते हैं निष्पादन कार्यवाही में भागीदारी से बाहर, में निम्नलिखित न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश का विवेकाधिकार; और,

(ई) निष्पादन के निपटान सहित पूरी कवायद याचिकाओं को छह की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। महीनों, और इस तरह की उपलब्धि का अनुपालन होगा इस न्यायालय के महापंजीयक को सूचित किया। बाधाओं के लिए कोई लागत नहीं। एसडी /जज

20. विशेष अनुमति याचिका की दलीलें मुख्य रूप से केंद्र में हैं कोई भी बल। अदालत ने यह भी पाया कि यह शिकायत कि दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच की जानी चाहिए, फिर से निराधार है। 2016 में फांसी की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही उन कार्यवाही को रद्द करने में समाप्त हुई। तर्क यह कि दस्तावेज़ असली नहीं हैं या उनमें कुछ संदिग्ध है, यह केवल निष्पादन को रोकने और अनुचित लाभ लेने का एक और प्रयास प्रतीत होता है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने फोरेंसिक जांच का आदेश देने से सही ढंग से इनकार कर दिया। इस न्यायालय की राय है कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए लागत का भुगतान करने का निर्देश रु- 5 लाख डिक्री धारक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कई प्रयासों को देखते हुए कि उनके द्वारा प्राप्त निर्णय के फल को बार-बार विफल कर दिया गया है, एक लाख रुपये (निर्णय देनदार द्वारा अनुपालन किया जाना) उचित था। नतीजतन, लागत का भुगतान करने का निर्देश उचित और उचित था।

21. उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय को पूरा करने का निर्देश दिया है छह महीने के भीतर प्रक्रिया। इस दिशा की पुष्टि की जाती है। एतद्द्वारा निष्पादन न्यायालय के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है; यदि न्यायालय को कोई बाधा या असहयोग मिलता है तो वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें किसी भी पक्ष को निर्धारित करने और आगे बढ़ने की शक्ति या उपयुक्त रूप से भारी लागत लगाने की शक्ति शामिल है। इसलिए, उपरोक्त के आलोक में टिप्पणियाँ इन अपीलों को खारिज किया जा सकता है।

23. इस अदालत ने बार-बार कहा है कि अन्याय को रोकने के लिए प्रदान किए गए उपायों का वास्तव में आदेशों के समय पर कार्यान्वयन और फरमानों के निष्पादन को रोककर अन्याय करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर चर्चा वर्ष 1872 में भी राजा दुर्भुंगा बनाम के महाप्रबंधक में प्रिवी काउंसल द्वारा की गई थी। महाराजा कुमार रामपुत सिंग में कहा गया है कि भारत में एक वादी की वास्तविक कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब वह एक फरमान प्राप्त करता है। इस अदालत ने शुभ करण बुबना @शुभ करण प्रसाद बुबना बनाम में इसी तरह की टिप्पणी की। सीता सरन बुबना जिसमें उसने सिफारिश की थी कि विधि आयोग और संसद को उन प्रावधानों पर अपना ध्यान देना चाहिए जो निराशाजनक सफल निष्पादन को सक्षम बनाते हैं। अदालत ने कहा कि कानून आयोग या संसद को उचित कार्य करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में ऐसे संशोधनों को सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें, जो किसी मुकदमे के निर्णय को नियंत्रित करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी मुकदमे के निर्णय की प्रक्रिया आरंभ करने के चरण से लेकर निष्पादन कार्यवाही के बाद राहत प्राप्त करने के चरण तक निरंतर रहे। निष्पादन कार्यवाही जो न्याय की सहायक मानी जाती है

24. डिक्री के निष्पादन के संबंध में, सी. पी. सी. की धारा 47 निष्पादन से संबंधित मुद्दों की सीमित प्रकृति के निर्णय पर विचार करती है। अर्थात्, डिक्री का निर्वहन या संतुष्टि और इसके साथ संरेखित है आदेश XXI के परिणामी प्रावधान। धारा 47 का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता को रोकना है। यह बस प्रक्रिया और फॉर्म को निर्धारित करता है।जिसके द्वारा न्यायालय किसी निर्णय पर पहुँचता है। खंड की प्रयोज्यता के लिए, दो आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, प्रश्न पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाला होना चाहिए और दूसरा, विवाद डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित है। इस प्रकार, धारा 47 का उद्देश्य अवांछित मुकदमेबाजी को रोकना और सभी आपत्तियों का जल्द से जल्द निपटान करना है।

25. इन प्रावधानों में यह विचार किया गया है कि फरमानों के निष्पादन के लिए, निष्पादन न्यायालय को फरमान से आगे नहीं जाना चाहिए। तथापि, निष्पादन के समय पुनः विचारण के समान कार्यवाहियों में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे आदेश और राहत का फल प्राप्त करने में विफलता होती है जो पक्ष अपने पक्ष में आदेश होने के बावजूद अदालतों से चाहता है। अनुभव से पता चला है कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष विभिन्न आपत्तियां दायर की

जाती हैं और डिक्री धारक मुकदमे के फल से वंचित रहता है और निर्णय देनदार को, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में, उस विषय वस्तु से लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है।

26. अधीनस्थ न्यायालयों में प्रचलित सामान्य प्रथा यह है कि निश्चित रूप से सभी निष्पादन आवेदनों में, न्यायालय पहले कारण बताएँ नोटिस जारी करता है जिसमें निर्णय देनदार से पूछा जाता है कि डिक्री को क्यों निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि कुछ वर्ग के मामलों के लिए आदेश XXI नियम 22 के तहत दिया गया है। हालाँकि, इसे अक्सर एक नए परीक्षण की शुरुआत के रूप में गलत समझा जाता है। उदाहरण के लिए, निर्णय देनदार कभी-कभी मौखिक याचिका स्थापित करने के लिए आदेश XXI नियम 2 और आदेश XXI नियम 11 के प्रावधानों का दुरुपयोग करता है। जो हमेशा अदालत के पास मौखिक रिकॉर्ड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है सबूत जो तुच्छ हो सकते हैं। यह निष्पादन कार्यवाही को अनिश्चित काल तक खींचता है।

27. यह सिविल प्रक्रिया संहिता की योजना के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि दीवानी मुकदमे में जो भी सवाल और मुद्दे उठ सकते हैं, उनका फैसला एक ही मुकदमे में किया जाना चाहिए। आदेश I और आदेश II, जो कार्यवाही की बहुलता से बचने के उद्देश्य से मुकदमों और मुकदमों के ढांचे से संबंधित हैं, पक्षकारों के सहयोगी और कार्रवाई के कारण के सहयोगी के लिए प्रावधान करता है ताकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्नों को एक बार में तय किया जा सके।

28. आदेश I नियम 10 (2) न्यायालय को किसी भी पक्ष को जोड़ने का अधिकार देता है जो इसमें शामिल होना चाहिए था, चाहे वह वादी या प्रतिवादी के रूप में हो, या जिसका न्यायालय मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी और पूरी तरह से निर्णय लेगा और उनका निपटारा करेगा। इसके अलावा, आदेश XXII नियम 10 में यह प्रावधान है कि काम का भार, निर्माण या विचाराधीनता के दौरान किसी भी ब्याज के हस्तांतरण के मामलों में वाद के संबंध में, वाद, न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकता है या जिस पर ऐसा हित हस्तांतरित किया गया है।

29. जबकि सी. पी. सी. आदेश XXI के नियम 30 से 36 के तहत विभिन्न फरमानों के निष्पादन का प्रावधान करता है, निष्पादन के तरीके सभी के लिए सामान्य हैं। सी. पी. सी.

की धारा 51 में निष्पादन के तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है जैसे संपत्ति की डिलीवरी द्वारा; कुर्की और बिक्री द्वारा; नागरिक जेल में गिरफ्तारी और निरोध द्वारा; एक प्राप्तकर्ता नियुक्त करके या किसी अन्य तरीके से जो दी गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, आदेश XL नियम 1 अदालत द्वारा प्राप्तकर्ता की नियुक्ति पर विचार करता है। उचित मामलों में, प्राप्तकर्ता को डिक्री पारित होने के तुरंत बाद संपत्ति का कब्जा, अभिरक्षा और/या प्रबंधन दिया जा सकता है। ऐसी अभिव्यक्ति होगी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण में सहायता करना। सी. पी. सी. के ढांचे के भीतर यह प्रक्रिया डिक्री के अनुसार संपत्ति के वितरण में निष्पादन न्यायालय को सहायता प्रदान कर सकती है।

30. किसी भी अचल संपत्ति के वितरण के लिए डिक्री के बारे में, आदेश XXI नियम 35 में प्रावधान है कि इसका अधिकार दिया जाएगा। उस पक्षकार के लिए जिसे यह निर्णय दिया गया है, या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वह उसकी ओर से डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें, और यदि आवश्यक हो, तो डिक्री द्वारा बाध्य किसी भी व्यक्ति को हटा दें जो संपत्ति खाली करने से इनकार करता है।

31. चूंकि न्यायालयों के समक्ष विशिष्ट पक्षों के बीच मुकदमा जारी रहता है और यह उपलब्ध अभिवचनों पर आधारित होता है, कभी-कभी इसका अस्पष्ट विवरण निष्पादन के दौरान कब्ज़े की डिलीवरी से पहले संपत्तियाँ वास्तविक या तुच्छ तीसरे पक्ष के मुद्दों को उठाती हैं। एक व्यक्ति जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है, कभी-कभी अलग अधिकारों या हितों का दावा करता है जो नए मुद्दों के निर्धारण की आवश्यकता को जन्म देता है।

32. जबकि विषय वस्तु संपत्ति पर वास्तविक दावे हो सकते हैं, संहिता यह भी मानती है कि तुच्छ या तुच्छ हो सकते हैं। डिक्री धारक को डिक्री के लाभों से वंचित करने के लिए उकसाया गया दावा। आदेश XXI के नियम 98 के उप-नियम (2) में इस तरह का विचार किया गया है परिस्थितियां और निर्णय देनदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उकसावे पर या उसकी ओर से, या द्वारा बिना किसी उचित कारण के किए गए प्रतिरोध या बाधा के लिए दंडात्मक परिणामों का प्रावधान करता है। अंतरिती, जहाँ इस तरह का हस्तांतरण के लंबित रहने के दौरान किया गया था। मुकदमा या निष्पादन कार्यवाही। हालांकि, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के ऐसे कृत्यों को शायद ही कभी निर्णय देनदार, या

उसकी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को दीवानी जेल भेजकर न्याय के दायरे में लाया जाता है।

33. अचल संपत्ति के कब्जे की डिक्री के निष्पादन के संबंध में, दोहरे आपत्तियों का उल्लेख करना सार्थक होगा जो पढ़ा जा सकता है। जबकि आदेश XXI नियम 97 के तहत, एक डिक्री धारक बाधा के बारे में इंगित करते हुए अदालत से संपर्क कर सकता है और अदालत से संपत्ति का कब्जा देने के लिए एक डिक्री को निष्पादित करने के लिए बाधा डालने वाले से निपटने के लिए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है, बाधा डालने वाला भी इसी तरह नए मुद्दों को उठाकर आपत्तियां उठा सकता है जो निर्धारण के लिए काफी समय लेते हैं।

34. हालांकि, आदेश XXI नियम 99 के तहत यह थोड़ा बेहतर स्थिति है। जिसमें निर्णय देनदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जब डिक्री धारक द्वारा ऐसी संपत्ति के कब्जे के लिए अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है, तो आपत्तियों के साथ एक आवेदन दायर करता है। इस तरह की आपत्तियाँ भी नेतृत्व करती हैं पुनः विचारण के लिए, लेकिन चूंकि आक्षेपकर्ता पहले से ही बेदखल है, इसलिए डिक्री का निष्पादन अधिक संभावित और त्वरित है। आदेश XXI नियम 97 में अवरोधक विभिन्न आपत्तियों के साथ आता है जिन्हें आदर्श रूप से मुकदमे के निर्णय के समय उठाया जाना चाहिए था। यदि उचित समय पर न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो निष्पादन के लिए ऐसी बाधाओं से बचा जा सकता है।

35. उपर्युक्त कानूनी जटिलताओं पर विचार करने के बाद, निष्पादन कार्यवाही की बड़ी विचाराधीनता और बड़ी संख्या में निष्पादन प्रक्रिया के दुरुपयोग के उदाहरणों में, हमारी राय है कि विवादों और एक बहुत ही परेशान करने वाले प्रश्न के कई मुद्दों से बचने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा दावा किए गए अधिकारों से उत्पन्न होते हुए, न्यायालय को विषय वस्तु से संबंधित ऐसे सभी मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

36. उस संबंध में कुछ उपायों में यह शामिल होगा कि मुद्दों के निपटारे से पहले, न्यायालय को, मामलों में, या संपत्ति से संबंधित कोई भी अधिकार, आदेश XI नियम 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करें शपथ पर दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देकर, किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों के अस्तित्व के बारे में घोषणा से संबंधित, उनके द्वारा या उनके ज्ञान में बनाई गई वाद संपत्ति में ब्याज। यह मुकदमे के प्रारंभिक चरण में तीसरे पक्ष के पक्ष में निर्णय लेने में अदालत की सहायता करेगा ताकि आवश्यक पक्ष के गैर-भागीदार के बारे में कोई भी

भविष्य का विवाद ना हो सके। टाल दिया। यह अंततः किसी भी अचल संपत्ति से जुड़े मुकदमे के जल्द निपटारे की सुविधा प्रदान करेगा।

37. विचारण न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना भी आवश्यक हो जाता है कि संपत्ति की स्थिति क्या है और कब कब्जा विवादित नहीं है, प्रतिवादी के अलावा वाद संपत्ति के किस और किस हिस्से पर कब्जा है। इस प्रकार, न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाइयों का भी सहारा ले सकता हैः

क) सी. पी. सी. के आदेश XXVI नियम 9 के तहत आयोग जारी करना। एक मुकदमे की स्थापना पर आयोग के माध्यम से एक निर्धारण अदालत को सभी प्रभावित पक्षों में शामिल होने जैसे आवश्यक कदम उठाने के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मुक़दमे के लिए आवश्यक पक्ष। मुद्दों के निपटारे से पहले, न्यायालय के सटीक विवरण और सीमांकन को दर्ज करते हुए स्थानीय जांच करने के उद्देश्य से एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है। संपत्ति की प्रकृति और व्यवसाय सहित संपत्ति। इसके अलावा, न्यायालय विचाराधीनता के दौरान संपत्ति की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए आदेश XL नियम 1 के तहत एक प्राप्तकर्ता को भी नियुक्त कर सकता है। मुक़दमे का या डिक्री पारित करते समय।

ख) मुक़दमे की संपत्ति को निर्दिष्ट करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करें और दावा आमंत्रित करें, यदि कोई हो, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास मुक़दमा है। संपत्ति या वाद संपत्ति के कब्जे का दावा करता है या उक्त संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित है, विशेष रूप से यह कहते हुए कि यदि इस स्तर पर आपत्तियां नहीं उठाई जाती हैं, तो किसी भी पक्ष को किसी भी दावे के संबंध में कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाद में।

ग) उक्त संपत्ति पर ऐसी सूचना संलग्न करें।

घ) वाद संख्या आदि निर्दिष्ट करते हुए ऐसा नोटिस जारी करें और जिस न्यायालय में यह लंबित है, उसमें वाद संपत्ति का विवरण भी शामिल हो और उसे न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

38. आयुक्त की रिपोर्ट या उस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर, न्यायालय आदेश I नियम 10 के तहत आवश्यक या उचित पक्षों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। न्यायालय आक्षेपकर्ताओं को अनुमति दे सकता है या दावेदार आदेश I नियम 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक पक्ष के रूप में शामिल होने पर, आदेश II नियम 3 के तहत एक संयुक्त आदेश देते हैं, जिसमें ऐसे पक्षों को दस्तावेजों और गवाहों की सूचियों के साथ एक लिखित बयान दायर करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है।

39. यदि उपरोक्त सुझाए गए उपाय किए जाते हैं और बाद में आदेश XXI के तहत "वाद संपत्ति" के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है डिक्री के निष्पादन के चरण में सी. पी. सी. का नियम 97 या नियम 99, निष्पादक न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगा कि वाद के लंबित रहने के दौरान ऐसी कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं हुआ था, विशेष रूप से मुकदमे के दौरान जारी सार्वजनिक सूचना को देखते हुए। आदेश 21 नियम 97 या नियम 99 के तहत ऐसे दावों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उन पर शायद ही कभी विचार/विचार किया जाना चाहिए।

40. घन श्याम दास गुप्ता बनाम अनंत कुमार सिन्हा में ", इस न्यायालय ने कहा था कि निष्पादन के संबंध में संहिता के प्रावधान अन्य कानूनों के तहत आम तौर पर उपलब्ध न्यायिक गुणवत्ता से बेहतर हैं और न्यायाधीश को विशेष रूप से सौंपा जा रहा है। न्याय प्रशासन, बेहतर करने की उम्मीद है। व्यावहारिक दृष्टिकोण और न्यायिक व्याख्याओं के साथ, न्यायालय को निर्णय देनदार या किसी भी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन में देरी करने के लिए उकसाने या तुच्छ दावा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पैसे से संबंधित मुकदमों में दावा, न्यायालय, वादी के आवेदन पर या धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, परिस्थितियों में, प्रतिवादी को मुकदमे की आगे की प्रगति से पहले सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दें। इनमें से किसी भी निर्देश का पालन न करने के परिणाम आदेश XVII नियम 3 में पाए जा सकते हैं।

41. उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिसमें निष्पादन कार्यवाही में देरी को कम करने की तत्काल आवश्यकता है, हम इसे उचित समझते हैं। पूर्ण न्याय करने के लिए कुछ निर्देश जारी करना। ये निर्देश न्याय की प्रक्रिया को कम करने के लिए व्यापक लोक हित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 144 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के

तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आदेश के फल की प्रतीक्षा कर रहे पक्षों के सामने मुकदमेबाजी की अनावश्यक अग्निपरीक्षा को समाप्त किया जा सके। कानून की प्रक्रिया में वादियों का विश्वास बना रहे जो कानून को प्रभावित करने वाला वृहतर दृष्टिकोण हो ।

42. मुकदमों और निष्पादन कार्यवाहियों से निपटने वाले सभी न्यायालय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगेः

1 कब्ज़े की डिलीवरी से संबंधित मुकदमों में, अदालत को चाहिए तीसरे के संबंध में आदेश X के तहत मुकदमे के पक्षों की जांच करें।

2 पार्टी हित और आगे आदेश के तहत शक्ति का प्रयोग करें 11वाँ नियम 14 पक्षकारों को खुलासा करने और पेश करने के लिए कहता है की रिपोर्ट शपथ पर दस्तावेज, जो पार्टियों के कब्जे में हैं, जिसमें ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा भी शामिल है।

3. उपयुक्त मामलों में, जहां कब्जा विवाद में नहीं है और न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए तथ्य का प्रश्न नहीं है, न्यायालय संपत्ति के सटीक विवरण और स्थिति का आकलन करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है।

4. आदेश X के तहत पक्षों की जांच या आदेश XI के तहत दस्तावेजों को पेश करने या कमीशन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, न्यायालय को मुकदमे में सभी आवश्यक या उचित पक्षों को जोड़ना चाहिए, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके और उसी मुकदमे में कार्रवाई का कारण भी बनाया जा सके।

5. सी. पी. सी. के आदेश XL नियम 1 के तहत, विचाराधीन संपत्ति की स्थिति की निगरानी के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। मामले के उचित निर्णय के लिए न्यायिक हिरासत के रूप में।

6. किसी संपत्ति के कब्जे का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि डिक्री असंदिग्ध है ताकि न केवल संपत्ति का स्पष्ट विवरण हो बल्कि संपत्ति की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। संपत्ति।

7. धन के मुकदमे में, न्यायालय को हमेशा आदेश का सहारा लेना चाहिए। आदेश XXI नियम 11, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान के लिए डिक्री का तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करना।

8. धन के भुगतान के मुकदमे में, मुद्दों के निपटारे से पहले, प्रतिवादी को अपनी संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है। शपथ, इस हद तक कि उसे एक मुकदमे में उत्तरदायी बनाया जा रहा है। न्यायालय आगे, किसी भी स्तर पर, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उपयुक्त मामलों में, धारा 151 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, किसी भी डिक्री की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की मांग कर सकता है।

9. धारा 47 या सी. पी. सी. के आदेश XXI के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को किसी आवेदन पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए।

10. इसके अलावा, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर न्यायालय पहले ही विचार कर चुका है। मुकदमे का निर्णय करते समय या जो ऐसा कोई मुद्दा उठाता है आयुक्त या शपथ पत्र के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के लिए बुलाना।

11. न्यायालय को उचित मामलों में जहां वह आपत्ति या प्रतिरोध या दावे को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण पाता है, आदेश XXI के नियम 98 के उप-नियम (2) का सहारा लेना चाहिए और साथ ही धारा 35A के अनुसार क्षतिपूर्ति लागत प्रदान करनी चाहिए।

12. सी. पी. सी. की धारा 60 के तहत ". फैसले के नाम पर-देनदार या उसके लिए या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा" शब्द को किसी अन्य को शामिल करने के लिए उदारता से पढ़ा जाना चाहिए।

13. निष्पादन न्यायालय को दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन कार्यवाही का निपटारा करना चाहिए, जिसे केवल इस तरह की देरी के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है।

14. निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो सकता है कि पुलिस के बिना डिक्री को निष्पादित करना संभव नहीं है सहायता, संबंधित पुलिस स्टेशन को ऐसे अधिकारियों को

पुलिस सहायता प्रदान करने का निर्देश दें जो डिक्री के निष्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि लोक सेवक के खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोई अपराध न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो उसी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून के अनुसार सख्ती से।

15. न्यायिक अकादमियों को नियमावली तैयार करनी चाहिए और वारंटों को निष्पादित करने वाले न्यायालय के कर्मियों/कर्मचारियों, कुर्की और बिक्री और अन्य किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त माध्यमों के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। निष्पादन न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों का निष्पादन।

43. हम सभी उच्च न्यायालयों को आदेशों के निष्पादन से संबंधित सभी नियमों पर पुनर्विचार करने और उन्हें अद्यतन करने का निर्देश देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और धारा 122 के तहत इसकी शक्तियाँ इस आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर सी. पी. सी. उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम सी. पी. सी. और उपरोक्त के अनुरूप हों।निर्देश, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के साथ निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास के साथ। जब तक ये नियम अस्तित्व में नहीं आते, तब तक उपरोक्त निर्देश लागू करने योग्य रहेंगे।

44. याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

अनुवादक द्वारा

सुभाष् कुमार रॉय

---

1 ओ. एस. संख्या 986/1987

2 ओ. एस. संख्या। 9077 / 1996 और 9078/1996

3 दिनांकित 09.11.2001,12.12.2001,05.12.2002 और 20.10.2004

4 दिनांकित 05.11.1998

5 निष्पादन मामला सं। 458-459 / 2007

6 आर. एफ. ए. सं. 661-663/2007

7. दिनांक 10.04.208

8. एस. एल. पी. (ग) संख्या। 16349-13651 / 2010

9 दिनांकित 09.11.2001,12.12.2001,05.12.2002 और 20.10.2004

10.तिथि 28.10.2009

11. तिथि 17.07.2013

12. एसएलपी (सी) सं. 18031/2013 [2021] 4 एस. सी. आर.

13. आर एफ ए संख्या 441,468 और 469/2017

14. (1871-72) 14 मूर का आई. ए. 605

15. (2009) 9 एस. सी. सी. 689

16. ए. आई. आर 1991 एस. सी. 2251